फर्द अहकाम

मुन्नीदेवी बनाम नोरतीदेवी वगै0

नाम न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, दूदू

केस संख्या – 88/2022 प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 07/05/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी है, परन्तु अवलोकन पत्रावली से ज्ञात होता है कि पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 जा0 दी0 विचाराधीन है पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 की बहस हेतु नियत की जानी थी, लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 का अंकन नही हो पाया, जिससे पत्रावली वास्ते बहस नियत हो गयी है। अतः पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 नियत की जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 पर बहस करना जाहिर किया। अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पत्रावली स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 बाबत मौका स्थिति हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रस्तुत किया है। उक्त आराजीयात का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है। उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट आवश्यक प्रतीत नही होती है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6, 10, 11, 13 लगायत 17 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढी समय चाहा। पूर्व में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6, 10, 11, 13 लगायत 17 को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, किन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6, 10, 11, 13 लगायत 17 पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6, 10, 11, 13 लगायत 17 को जवाब अवसर बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित, जवाब नही देना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य नही पेश कर, सीधी बहस करना जाहिर किया। अधिवक्ता उभयपक्षों व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों एवं पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 237, 161, 87, 41, 23, 375, 1, 58, 357 वाके ग्राम छिर्र तहसील दूदू, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13/06/2014, नक्शा ट्रेस, इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत आराजीयात का तहसीलदार, तहसील दूदू के आदेश क्रमांक एल0आर0/14/1632 दिनांक 05/06/2014 द्वारा खसरा नम्बर 1159, 1161 का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं। प्रश्नगत आराजीयात के प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार होना साबित होते | |

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

है, अप्रार्थी संख्या 1, 7 लगा. 9, 12 ना तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये और ना ही उनकी ओर से कोई उज्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6, 10, 11, 13 ता. 17 द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.16 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.91 हैक्टैयर वाके ग्राम छिर्र तहसील दूदू जिला दूदू, का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू